

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

पटना, दिनांक / / 2018

संख्या-2/आर०-09/2018- /स्वा०, डा० अनुपमा सिंह, सिनियर रेजिडेन्ट, स्त्री रोग विभाग, नालन्दा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पटना को दिनांक-09.02.2018 से 31.03.2018 तक शिशु देखभाल हेतु उपभोगित अवकाश को वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-640 दिनांक-19.01.2015 के आलोक में 51 दिनों के अवकाश को शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. प्रस्ताव में स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-307(5), दिनांक-18.3.17 के आलोक में विशेष सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-


( जगदीश कुमार )  
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

ज्ञापांक-2/आर०-09/18- 571 (2)

पटना, दिनांक 17/5/ 2018

प्रतिलिपि : अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/अधीक्षक, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/ डा० अनुपमा सिंह, सिनियर रेजिडेन्ट, स्त्री रोग विभाग, नालन्दा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

  
विशेष कार्य पदाधिकारी ।